राजस्व वाद GCMS नंबर 2018/00178 बअनवान मोतीदेवी बनाम भूताराम
वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13/4/026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में मृत प्रतिवादी भूताराम की जगह बगाराम पुत्र गलकीदेवी पत्नी गोमाराम जाति जणवा चौधरी निवासी सादडा को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) आदेश 22 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीनी मोतीदेवी द्वारा अपनी खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सादडा के खसरा नंबर 312, 368/1, 369, 370, 371, 372/1, 373 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.68 हैक्टर पर प्रतिवादी भूताराम पुत्र गमनाराम द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने से वादी द्वारा उक्त वाद धारा 183 आरटीए एक्ट के तहत प्रस्तुत कर बेदखली की मांग की गई है। अब उक्त प्रकरण में वर्णित प्रतिवादी भूताराम पुत्र गमनाराम की मृत्यु होने से प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) आदेश 22 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को आधार बनाते हुये भूताराम के वारिस के तौर पर बगाराम पुत्र गलकीदेवी पत्नी गोमाराम जाति जणवा चौधरी निवासी सादडा को पक्षकार बनाये जाने की दलील दी जा रही है। वकील वादी श्री प्रदीप चौधरी द्वारा इसका खंडन करते हुये दलील दी गई कि बगाराम को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पूर्व में भी इस न्यायालय में पेश किया था, जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2022 को खारिज कर दिया गया था, जिसकी निगरानी बगाराम द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर में की गई थी जो निगरानी संख्या 962/2023/पाली दिनांक 09.04.2024 माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा खारिज की जा चुकी है। जिससे विधिक प्रावधानों के तहत बगाराम पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। इसके साथ ही वादी अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रकरण में पत्रावली फाईनल बहस के लिये लंबित थी, तथा वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.10.2025 को लिखित बहस भी पेश कर दी थी। इस प्रकार प्रकरण निर्णय के लिये लंबित रहते प्रतिवादी की मृत्यु होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी पक्ष के गवाहों के अनुसार वादी का वाद डिक्री योग्य था परंतु अब चूंकि प्रतिवादी भूताराम की मृत्यु हो चुकी है। जिससे बेदखली के वाद में आगे कोई प्रतिवादी मौजूद नहीं रहने से वादी को बेदखली की आवश्यकता ही नहीं रहती है क्योंकि अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति की ही जब मृत्यु हो चुकी है तो बेदखली का अनुतोष पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली ग्राम सादडा के खसरा नंबर 312, 368/1, 369, 370, 371, 372/1, 373 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.68 हैक्टर के संबंध में बेदखली हेतु प्रस्तुत उक्त वाद में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

मोतीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति चौधरी निवासी सादडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादी :–

1. भुताराम पुत्र गमनाराम जाति जणवा चौधरी निवासी सादडा तहसील बाली जिला पाली
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2018/00176
वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात ग्राम सादडा के खसरा नंबर 312, 368/1, 369, 370, 371, 372/1, 373 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.68 हैक्टर के संबंध में बेदखली हेतु प्रस्तुत उक्त वाद में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/4/026 को जारी किया गया।
मोहर

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner